

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलेक्टर (सि.स.) ..... मुकाम.....

जिला - बाड़मेर

बनाम.....

किस्म मुकदमा..... नं. 63 सन् 2022

88, 188

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28/03/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री .....                      ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा .....                      राजस्थान कास्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।                      जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन                      तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 04/04/2022 को पेश हो।</p>	
04/04/2022	<p>वादी वकील व पार्टी संख्या-1 की मोर ले                      उपलब्ध। प्रतिवादी संख्या-1 की मोर ले                      वकील श्री रवेन्द्र राम जाधव द्वारा पेश                      लातनाम सम ईश्वरलाल जवाबवाली पेश                      किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया                      गया। (वादी वकील द्वारा पार्टी साक्ष्य                      के रूप में PW-1 एवं गवाह- उमराम                      पुत्र बाबुराम जाति- जाट निवासी- डूंगराधीन                      श्री राजी लक्ष्मील - गिड, 87 बापश-पत्र                      पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली                      किया गया। पार्टी वकील द्वारा प्रतिवादी                      संख्या-2 ले 18 की लड़ किया गया जिसे                      शेई इन्दुया नदी चाही गई पार्टी वकील</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDC)                      बायतु                      जिला - बाड़मेर</p> <p>गोरव राम</p> <p>म 30/4</p> <p>म 30/4</p> <p>म 30/4</p> <p>म 30/4</p>

सहायक कलेक्टर (SDC)  
 बायतु  
 जिला - बाड़मेर



# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या- 63/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. भीखाराम पुत्र प्रभूराम, 2. बाबूराम पुत्र प्रभूराम, 3. खेताराम पुत्र प्रभूराम, जाति-जाट, निवासी- भोमाणियों की ढाणी, सवाऊ पदमसिंह, तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर		1. प्रभूराम पुत्र कोंजाराम, 2. मेगाराम पुत्र कोंजाराम, 3. खरथाराम पुत्र कोंजाराम, 4. गोमी देवी पत्नी गुलाराम, 5. नारणाराम पुत्र डालूराम, 6. राणाराम पुत्र डालूराम, 7. रावताराम पुत्र डालूराम, 8. अणदाराम पुत्र मेगाराम, 9. खेताराम पुत्र मेगाराम, 10. गुलाराम पुत्र मेगाराम, 11. नेनाराम पुत्र मेगाराम, 12. गोस्धनराम पुत्र मेगाराम, 13. नवलाराम पुत्र मेगाराम, 14. जेठी देवी पत्नी दुदाराम, 15. तुलछी देवी पत्नी जोगाराम, 16. रम्मा देवी पत्नी बाबुराम, जाति-जाट, निवासी- भोमाणियों की ढाणी, सवाऊ पदमसिंह, तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर 17. मिरों देवी पत्नी शंकराराम, जाति- जाट, निवासी- चीबी, चीबी तहसील गिड़ा जिला - बाड़मेर।


राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :- 1. श्री रतनाराम जाखड़ वकील वादीगण  
2. श्री खेताराम जाखड़ वकील प्रतिवादी संख्या 01

:- निर्णय :-

दिनांक : 04/04/2022

वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि मौजा भोमाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 221 रकबा 17.3691 हैक्टयर व मौजा अमरजी की ढाणी, पटवार हल्का सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा खेत खसरा नं. 396 रकबा क्रमशः 5.6089 हेक्टयर मौजा सुन्तला की ढाणी पटवार हल्का सवाऊ मुलराज तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नं. 01 रकबा 42.3058 हैक्टयर की आई हुई है। वादी व प्रतिवादी संख्या-1, पूर्वज कोंजाराम के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेंट के समय वादी के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार

  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला-बाड़मेर

वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है और वादी अपने पैतृक भूमि में सहखातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है व हिस्से अनुसार मौके पर बहामी बटवारा किया हुआ है तथा वादी अपने हिस्से की भूमि पर बहामी बटवाड़ा अनुसार काबिज है। क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरुष के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादी को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं भीखाराम पुत्र प्रभूराम का शपथ पत्र PW 1, स्वतंत्र गवाह के रूप में प्रभूराम पुत्र बाबुराम का शपथ पत्र PW 1 पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र DW 1 पेश किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व उनके अधिवक्ता को सुना गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या-1 के पिता के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेंट के समय वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या-1 के पिता के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादी व प्रतिवादी संख्या-1 उनके पूर्वज कोंजाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी व प्रतिवादी संख्या-1 का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या-1 के हिस्से के साथ वादी सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद-पत्र स्वीकार कर, डिक्री किया जाता है व अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा भोमाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 221 रकबा 17.3691 हैक्टेयर व मौजा अमरजी की ढाणी, पटवार हल्का सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा खेत खसरा नं. 396 रकबा क्रमशः 5.6089 हेक्टेयर मौजा सुन्तला की ढाणी पटवार हल्का सवाऊ मुलराज तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नं. 01 रकबा 42.3058 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादी को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दपतर हो।



निर्णय आज दिनांक 04/04/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश सिंह आशिया)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
सहायक कलक्टर एवं  
जिला बाड़मेर  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भीखाराम पुत्र प्रभूराम,
2. बाबूराम पुत्र प्रभूराम,
3. खेताराम पुत्र प्रभूराम,  
जाति-जाट, निवासी- भोमाणियों की ढाणी,  
सवाऊ पदमसिंह, तहसील-गिड़ा,  
जिला-बाड़मेर

1. प्रभूराम पुत्र कोंजाराम वगैरह 18,  
जाति-जाट, निवासी- भोमाणियों की  
ढाणी, सवाऊ पदमसिंह,  
तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या- 63/2022.

निर्णय दिनांक :-

वादीगण वकील श्री रतनाराम जाखड़ व प्रतिवादी वकील खेताराम व प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 04/04/2022 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) जगदीश सिंह आशिया, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा भोमाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 221 रकबा 17.3691 हैक्टेयर व मौजा अमरजी की ढाणी, पटवार हल्का सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा खेत खसरा नं. 396 रकबा क्रमशः 5.6089 हेक्टेयर मौजा सुन्तला की ढाणी पटवार हल्का सवाऊ मुलराज तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नं. 01 रकबा 42.3058 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार गिड़ा निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 04/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।



जगदीश सिंह आशिया  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की लागत		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	